

तीन महीनों के दौरान विद्युत की अपर्याप्त के उपलब्धता के परिणामस्वरूप सरकार ने, कुछ उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत के प्रयोग पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे । तथापि ग्रामीण क्षेत्रों को लगभग 6-8 घंटे विद्युत की सप्लाई दी जा रही है तथा 25 एच. पी. तक के भार वाले लघु उद्योगों पर विद्युत की कोई कटौती नहीं है ।

(ख) उत्पादन में हानि के कारणों में बिजली की कमी सर्व्व ही एक कारण होती है । तथापि केवल विद्युत की कमी के कारण हुई हानि की मात्रा बताई नहीं जा सकती ।

(ग) और (घ) : राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र की हाल ही में चालू की गई 220 मेगावाट की यूनिट संख्या 2 का अप्रैल, 1981 के अंत तक स्थिरीकरण हो जाने पर तथा राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र की दोनों यूनिटें काम करने लगने पर राजस्थान में विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार होने की संभावना है । राज्य में विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए, राजस्थान प्रणाली में 1980-85 की अवधि के दौरान 496.2 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता जोड़े जाने की भी आशा है । इसके अतिरिक्त, उत्तरी क्षेत्र में 1980-85 के दौरान चालू की जाने वाली कुछ केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से भी राजस्थान को लाभ प्राप्त होगा ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

**हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत कम्पनियों की संख्या**

1186. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :  
न्याय विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री

यह बताने की कृपा करेंगे कि : हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत कम्पनियों की संख्या कितनी है और उन्हें कितनी राशि का अनुदान दिया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : 31 मार्च, 1980 तक हिमाचल प्रदेश में शेरों द्वारा लिमिटेड और कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत एक सौ सैंतालीस (147) कम्पनियाँ विद्यमान थीं । इन में 20 पब्लिक लिमिटेड और 127 प्राइवेट लिमिटेड समाविष्ट हैं ।

कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किसी भी कम्पनी को कोई अनुदान नहीं दिया जाता है ।

**Issue of licence for production of Potato Based Alcohol in Himachal Pradesh**

1187. SHRI KRISHNA DATTA SULTANPURI: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state whether the question of issuing a licence for production of potato-based alcohol in Himachal Pradesh is being considered and if so, by what time it is likely to be given ?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI) : In 1975, M/s Mohan Meakins Breweries Limited, had applied for the issue of a Carry on-Business Industrial Licence for the manufacture of one lakh litres of Vodka, Gin, Brandy and Whisky at Solan in Himachal Pradesh making use of potatoes, fruits, peaches and plums and barley. They were issued a Letter of Intent for the manufacture of Alcohol with a provisional capacity of 1100 bulk kilo litres subject to a number of conditions.

Subsequently the party requested for permission to go in for foreign collaboration which was also agreed to in principle subject to the party undertaking export of 90% of their production on a perpetual basis. There has been no other application for production of potato-based alcohol in Himachal Pradesh and if such an application is received it will be considered on its merits.